

प्रेषक,

खण्ड शिक्षा अधिकारी,
वि०ख०-इगलास(अलीगढ़)

सेवा में,

प्रबंधक

L B K PUBLIC SCHOOL

कजरौठ, इगलास अलीगढ़

पत्रांक: / 177 / 2025-26 /

दिनांक: 19/06/2025..

विषय:- आर०टी०ई० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1ग) के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या LBK/P/E/C/2025-26/020 दिनांक 19.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें कि विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियमावली 2011 में वर्णित सभी प्रावधानों/ मानक/ शर्तों का पूर्ण पालन करता है एवं इसके अन्तर्गत आर०टी०ई० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1ग) के अन्तर्गत चयनित एवं अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देता है।

भवदीय

(लाल बाबू द्विवेदी)
खण्ड शिक्षा अधिकारी
इगलास(अलीगढ़)



Manager
L. B. K. Public School
Kajroth, Iglaas (Aligarh)